## आदेश

महिला कल्याण विभाग द्वारा विभागीय गृहों यथा (राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु), राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर/किशोरी), राजकीय विशेष गृह (किशोर/किशोरी), प्लेस आफ सेफ्टी, राजकीय पश्चातवर्ती देख रेख संगठन (महिला/पुरूष), राजकीय महिला शरणालय, राजकीय संरक्षण गृह) का संचालन किया जा रहा है। उक्त गृहों के संवासी/संवासिनियों के भरण–पोषण, खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के क्रय किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या–1188/60–1–07–1/13(26)/03, दिनांक 04 अप्रैल, 2007 द्वारा उक्त गृहों के संवासी/संवासिनियों के भरण–पोषण, खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के क्रय के संबंध में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

1. संवासियों/संवासिनियों के उपयोग एवं संस्था हेतु समस्त सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं शासन के अधीन निगमों से सीधे क्रय की जाये।
2. संस्थाओं के क्रय की जाने वाली खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री किसी भी सरकारी संस्था, निगम अथवा सहकारी उपभोक्ता संघ इत्यादि की आड़ में ठेकेदारी प्रथा से क्रय किया जाना किसी भी दशा में मान्य नही की जायेगी।
3. इस संस्थाओं के उपयोग हेतु खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तथा बिस्तर, चादर व अन्य आवश्यक कपड़े खादी आश्रम से एवं अन्य सामग्रियां आवश्यकतानुसार कर्मचारी कल्याण निगम अथवा सहकारी उपभोक्ता/आवश्यक वस्तु निगम आदि से सीधे क्रय की जाये। इसके अतिरिक्त सब्जियां इत्यादि सीधे बाजार से न्यनतम दर पर क्रय की जाये। निदेशालय स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं का अनुपालन नही किया जा रहा है।

अतः शासनादेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम/उपभोक्ता सहकारी संघ से ही संस्थाओं की आवश्यकताओं के लिये वांछित वस्तुओं का क्रय अनिवार्य रूप से किया जाये। कर्मचारी कल्याण निगम/उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा संस्थाओं के खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु जिन सामानों की अनुपलब्धता हो तो उसे लिखित रूप में विभाग को तत्काल अवगत कराया जायेगा। कर्मचारी कल्याण निगम/उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा सामान की अनुपलब्ता की लिखित सूचना से अवगत कराने की दशा में सामानों एवं सब्जी, दूध, फल इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय तथा क्रय नियमों के अनुरूप किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है–

| | |
|---|---|
| 1. जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. कोषाधिकारी | सदस्य |
| 3. जिला प्रोबेशन अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 4. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति | सदस्य |
| 5. विभागीय संस्थाओं में से नामित संस्थाध्यक्ष | सदस्य |

उक्त समिति में एक महिला सदस्य अनिवार्यतः नामित हो।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। जनपद में कोई भी नवीन क्रय हेतु उपरोक्त निर्देश के अनुसार ही प्रक्रिया अपनायी जाये। जिन जनपदों में निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित फर्म से सामान की आपूर्ति प्राप्त की जा रही है, उन जनपदों में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी। तद्सम्बन्धी प्रक्रिया के विपरीत क्रय के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।

(भवानी सिंह)
निदेशक।